ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री जोगिन्दर सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री रवि कुमार	01.04.2024 से 14.02.2025 तक
2.	श्री जोगिन्दर पाल	15.02.2025 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत हम्बोली के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार	0.19

		मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे		
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष		32.06
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष		0.24
4)	8.1	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करना		0.71
5)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना		0.26
6)	8.3	सचिव द्वारा हस्तगत राशि से नगद रूप में भुगतान करना		0.25
7)	8.4	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.06
8)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	4.92

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.05.2025 से 20.05.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 230/2025 दिनांक 20/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत हम्बोली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 315693 दिनांक 21/05/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत हम्बोली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3340093.3	4985224	8325317.3	5119003.66	3206313.64

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत हम्बोली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹18740** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	3206313.64
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**3222729.64**

3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	2324.00
4)	**योग (2+3)**	**3225053.64**
5)	**अन्तर (4-1)**	**18740.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.19 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹18740** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 219/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (3-4) (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	3206313.64	3225053.64	18740

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप

से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 16 दिनांक 20/05/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹32.06 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3206313.64** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 16 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 16 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 16 दिनांक 20/05/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹23620 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	24640	40150	64790	41170	23620

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार ₹3800** की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	3800

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 224/2025 दिनांक 19/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200

प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹800** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	800

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 223/2025 दिनांक 19/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा दिनांक 31/03/2025 को निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि (₹)
1	03/2025	2324

8.1 ₹0.71 लाख की खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹70875** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225/2025 दिनांक 19/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ट्रांजिट पास फार्म जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित फार्म शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	15th fc	नवीनीकरण पंचायत घर व निर्माण चारदीवारी	4971 07.03.25	Gurbandhan Govt. Contractor & Supplier	Agg.	6510
2	15th fc	निर्माण रास्ता लिंक रोड से शमशान घाट	4748 11.11.2024	Gurbandhan Govt. Contractor & Supplier	Sand, Agg.	33495
3	15th fc	निर्माण बाथरूम व शौचालय गांव बहेडी	5036 20.03.2025	Gurbandhan Govt. Contractor & Supplier	Sand, Agg.	30870
					योग	**70875**

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.26 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹25601** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226/2025 दिनांक 19/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15वां वित्तायोग	P/34 to P/35	357, 358, --- dtd. 24.02.2025,	Ridhi Sidhi Trading Company	ERW Pipe, MS Pipe, MS BAR etc.	20400
2	VKVNY	P/43	395 18.09.2024	Vaishno Steel Traders	MS PIPE	5201
					योग	**25601**

8.3 ₹0.25 लाख का सचिव द्वारा हस्तगत राशि से नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान चयनित माह 03/2025 में किए गए व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न वर्णित ₹24769** के वेतन हेतु भुगतान हस्तगत राशि से नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार **₹1000** से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 227/2025 दिनांक 19/05/25 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त नगद भुगतान गलती से हो गए थे, जिसे अब RTGS / Cheque / NEFT द्वारा किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | अतः नियमों / निर्देशों के विपरीत किए गए व्यय के दृष्टिगत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: सचिव, ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	P/1	04/24	11625	पंचायत चौकीदार
2	P/2	04/24	13144	सिलाई अधियापिका
		योग	**24769**	

8.4 स्त्रोत पर ₹0.06 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹321400** (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹6428** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी. एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2024-25	Gurbandhan Govt. Contractor & Suppliers	Sand, agg etc	321400	321400	6428 (2% x 321400)
				योग	**321400**	**6428**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 229/2025 दिनांक 20/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6428** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 **₹4.92 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹491903** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 222/2025 दिनांक 19/05/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अत: किए गए कार्यों के मूल्यांकन की जाँच अंकेक्षण दौरान सम्भव न हो सकी है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	15वां वित्तायोग	03/25	Renovation of Panchayat ghar and Construction of boundary wall panchayat ghar	256 dtd. 24.01.25, 975 dtd. 02.02.25, 2293 dtd. 28.02.25, 4971 dtd. 07.03.25, 357, 358 dtd. 24.02.25, 17779 (01.03.25 to 04.03.25), 060 dtd. 03.03.25	ईंटे, सरिया, पेंट का सामान, रेत, बजरी, ERW Pipe, MS Pipe etc., MS Bar, Labor, carriage	97564
2	15वां वित्तायोग	03/25	C/o Toilet and Bathroom vill. Baheri ward no. 1	266 dtd. 05.03.25, 1027 dtd. 01.03.25, 017533 dtd. 25.03.25, 17778 (01.03.25 to 17.03.25), 5036 dtd. 20.03.25	Bricks, Steel, cement, labour, sand, agg.	176845
3	15वां वित्तायोग	03/25	C/o Shamshangh at ward no 6	017535 25.03.25	cement	38301
4	15वां वित्तायोग	03/25	C/o Path Mangat ram ke ghar se Ravi dass ke ghar tak	017536 25.03.25	cement	38301
5	15वां वित्तायोग	03/25	C/o Shamshangh at ward no 4	017534 25.03.25	cement	38301
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/25	R/o Path link road to Poultry farm	320 to 321 12.03.25	Pavers/blocks	77880
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/25	R/o Pulli and path balwinder singh	4463 dtd. 28.10.24, 395 dtd. 18.09.24, 058 dtd. 23.11.24	Agg, ms pipe, carriage etc.	24711
					योग	**491903**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 215/2025 दिनांक 14/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की माँग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 17 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 अग्रिम राशि ₹0.21 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 16 दिनांक 20/05/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक HP State Civil Supplies Corporation ltd Shimla amb को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹21066** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: HP State Civil Supplies Corporation Ltd Shimla Amb से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/25 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/25 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
15वां वित्तायोग	017533 25.03.25	HP State Civil Supplies Corporation ltd Shimla amb	cement	21066	0	21066

12 **प्रत्यक्ष सत्यापनः-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214/2025 दिनांक 14/05/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 16 दिनांक 20/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.7.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का०/प्रति

4186 - 4190 05 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)120/2025—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

05 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 05.7.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का०/प्रति

परिशिष्ट "क"   पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3340093.3	4985224	8325317.3	5119003.66	3206313.64

Sec.
Pardhan
Gram Panchayat H[illegible]
Dev. Block Amb Distt Una H.P.

ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3340093.3	3032544	6372637.3	3166323.66	3206313.64

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1070520	1444607	2515127	2019316.66	495810.34

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2269573.3	1587937	3857510.3	1147007	2710503.3

Pardhan
Gram Panchayat H.
Dev. Block Amb Distt Una (H.P.)

-18-

17

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1952680	1952680	1952680	0

Pardhan Secy
Gram Panchayat Hamboli
Dev. Block And Distt. Una

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) (क) का अंतशेष	3206313.64
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**3222729.64**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	2324.00
4)	**योग (2+3)**	**3225053.64**
5)	**अन्तर (4-1)**	**18740.00**

Pardhan Secy

Gram Panchayat Hamboli

Dev. Block Amb Distt Una (H.P.)

परिशिष्ट क-1

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb (GIA)	20009003901	87881.76
	KCCB Amb (Own & GIA)	20009003344	383318.58
	HDFC Amb (15th FC)	50100340115757	2730870.30
	KCCB Dushara	20087006230	1669.00
	KCCB DUSHARA (IAY)	50067464306	18990.00
		योग	**3222729.64**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	2324.00
		योग (1+2)	**3225053.64**

Pardhan Secy
Gram Panchayat Hamboli
Dev. Block Amb Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत हम्बोली, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹) @ 50/-	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	24640	40150	64790	41170	23620

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हम्बोली
वि0 ख0 अम्ब जि0 ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ग'   पैरा संख्या 7.2 व 7.3 के सन्दर्भ में।

क्रमांक :- GP Hamboli/SADAudit/2025-26/   दिनांक :- 15/05/2025

कार्यालय ग्राम पंचायत हम्बोली विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

सेवा में

कनिष्ठ लेखा परीक्षक ,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9,
कैम्प ग्राम पंचायत हम्बोली जिला ऊना (हि प्र)

बिषय :- अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क बसूली की सूचना उपलव्ध करवाने बारे।

महोदय ,

आपके कार्यालय पत्र संख्या 216/2025 दिनांक 14/05/2025 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक वसूल किये गए विवाह पंजीकरण शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र स	नाम	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु वकाया राशि
1	शशी कुमार पुत्र शाम लाल गाँव व् डाकखाना हम्बोली	31/05/2024	12/08/2024	255751	400-00	400-00	00-00
2	अश्वनी कुमार पुत्र सुरिंदर पाल गाँव सेरी डाकखाना हम्बोली	07/10/2024	21/10/2024	255752	200-00	200-00	00-00
3	अमित कुमार पुत्र किशोरी लाल गाँव व् डाकखाना हम्बोली	11/10/2024	30/10/2024	255753	200-00	200-00	00-00
4	दीपक भट्टी पुत्र मोहिन्दर पाल गाँव बहेड़ी डाकखाना चुरुडू	03/10/2024	04/11/2024	255754	400-00	200-00	200-00
5	रणजीत कुमार पुत्र धर्म पाल गाँव व् डाकखाना हम्बोली	21/10/2024	11/11/2024	255759	200-00	200-00	00-00
6	कृष्ण कुमार पुत्र राज कुमार गाँव व् डाकखाना हम्बोली	28/10/2024	11/11/2024	255760	200-00	200-00	00-00
7	यतिन चौधरी पुत्र तेलु राम गाँव व् डाकखाना हम्बोली	23/10/2024	11/11/2024	255761	200-00	200-00	00-00
8	नीरज सिंह पुत्र हरदीप सिंह गाँव सेरी डाकखाना हम्बोली	20/10/2024	12/11/2024	255774	200-00	200-00	00-00
9	रोहित कुमार पुत्र किशोरी लाल गाँव व् डाकखाना हम्बोली	20/01/2024	20/11/2024	255762	400-00	400-00	00-00
10	दीपक कुमार पुत्र पवन कुमार गाँव सेरी डाकखाना हम्बोली	17/11/2024	03/12/2024	255775	200-00	200-00	00-00
11	रोहित पुत्र मदन लाल गाँव सेरी डाकखाना हम्बोली	08/11/2024	09/12/2024	255776	200-00	200-00	00-00

12	सुशील कुमार पुत्र बक्शीश सिंह गाँव बहेड़ी डाकखाना चुरुडू	06/12/2024	16/12/2024	255777	200-00	200-00	00-00
13 14	सतनाम सिंह पुत्र लखबीर सिंह गाँव व् डाकखाना हम्बोली	06/12/2024	18/12/2024	255778	200-00	200-00	00-00
15	संदीप कुमार पुत्र राजिंदर कुमार गाँव व् डाकखाना हम्बोली	05/12/2024	23/12/2024	255779	200-00	200-00	00-00
16	अमित सागर पुत्र गुरमेल सिंह गाँव व डाकखाना हम्बोली	05/12/2024	23/12/2024	255780	200-00	200-00	00-00
17	दिनेश कुमार पुत्र किर्मत लाल गाँव निचली हम्बोली डाकखाना हम्बोली	18/01/2025	23/01/2025	----------	200-00	00-00	200-00
18	दीपक सौन्ख्ला पुत्र महिंदर पाल गाँव बहेड़ी डाकखाना चुरुडू	18/01/2025	28/01/2025	----------	200-00	00-00	200-00
19	संदीप कुमार पुत्र गुरमीत सिंह गाँव व डाकखाना हम्बोली	14/02/2025	28/02/2025	----------	200-00	00-00	200-00
20	अनूप कुमार पुत्र चरण दास गाँव बहेड़ी डाकखाना चुरुडू	18/02/2025	07/03/2025	255800	200-00	200-00	00-00
21	जसप्रीत सिंह पुत्र हरबक्श सिंह गाँव व डाकखाना हम्बोली	21/02/2025	11/03/2025	255852	200-00	200-00	00-00
		कुल योग			4600-00	3800-00	800-00

भवदीय,

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत हम्बोली,
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हम्बोली
वि0 ख0 अम्ब जि0 ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'च'   पैरा संख्या 8.4 के सन्दर्भ में।

क्रमांक :- GP Hamboli/SADAudit/2025-26/   दिनांक :- 15/05/2025

कार्यालय ग्राम पंचायत हम्बोली विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

वितीय बर्ष 2024-25 में Gurbandhan Govt. Contractor & Suppliers को किये गए कुल भुगतान राशि (GST के अतिरिक्त) की सूचि :-

क स	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST के अतिरिक्त)
1	15thfc	01	20/04/2024	3423	01/03/2024	29200-00
2	15thfc	07	21/07/2024	3104	01/01/2024	12600-00
3	15thfc	22	08/01/2025	4681	03/11/2024	38400-00
4	15thfc	28	18/02/2025	4545	29/10/2024	16400-00
5	15thfc	32	11/03/2025	4971	07/03/2025	9600-00
6	15thfc	42	29/03/2025	4748	20/11/2024	31900-00
7	15thfc	44	29/03/2025	5036	20/03/2025	29400-00
8	vkvny	9	12/04/2024	3424	02/03/2024	18000-00
9	vkvny	17	29/05/2024	3105	01/01/2024	12600-00
10	vkvny	60	09/09/2024	3957	16/05/2024	6750-00
11	vkvny	61	09/09/2024	3954	15/05/2024	32100-00
12	vkvny	62	09/09/2024	3955	15/05/2024	4650-00
13	vkvny	63	09/09/2024	3956	16/05/2024	3000-00
14	vkvny	85	05/11/2024	4412	26/10/2024	32200-00
15	vkvny	111	08/01/2025	4687	06/11/2024	38400-00
16	vkvny	115	20/02/2025	4463	28/10/2024	6200-00
	G. Total					321400-00

भवदीय ,

पंचायत सचिव
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हम्बोली
ग्राम पंचायत हम्बोली
वि०ख० अम्ब जि० ऊना (हि.प्र.)
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)